

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

१५५१४५(४८) जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम

के वार्ड संख्या 43 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- रंजनी कुमारी

प्रति/पति का नाम- मसुल हसन

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- नही - शून्य
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- नही - शून्य
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) - नही - शून्य
- (iv) दिया गया दण्ड- नही - शून्य
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- नही - शून्य
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- नही - शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- नही शून्य
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- नही शून्य
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- नही शून्य
- (iv) यदि निष्पादित है, तो नही शून्य
 - (क) निष्पादन की तिथि- नही - शून्य
 - (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- नही - शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- नही - शून्य
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- नही शून्य

क्या आप नामांकन दायित्व करने की तिथि के छः माह पूर्व देरा के भीतर या बाहर कैसे किसी लॉबीट मामले में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- **नहीं - 20/11**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है-
- (iii) अपराध संख्या **20/11**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **20/11**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **20/11**

3. क्या आपके विरुद्ध ठकुर कडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देरा के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- **नहीं - 20/11**

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- **20/11**
- (iii) अपराध संख्या- **20/11**
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- **20/11**
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- **20/11**

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबीट हो, तो पूर्ण विवरण- **नहीं - 20/11**

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- **नहीं 20/11**

(ii) रहने की भूमि- **नहीं 20/11** **कॉन्स्ट्रक्शन - 43 के स्वापॉयट्स**
हैं पति की सुहाग हसन के नाम
16,00,000/-

(iii) भवन- **नहीं - 20/11** **स्वपरा का भवन**
3,00,000/-

उपर्युक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। **कुल 19,00,000/-**

(ख) चल सम्पति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 23,000/-

Kalpana BSB - 20 99 = 54
24.8 BSB - 4 582 = 20 - 716K
(ii) बैंक बैलेंस - HDFC - 62,532 = 85
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपॉजिट (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) 12 FDR in Post office

रकम - 22,35,00,000/-

(iv) बॉन्ड, शेयर - 10 Lic Bond
Of 15 (इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन नहीं

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण

(पूर्व विवरण है)

सोना - 120 gram - Approx. 6,00,000/-
चांदी - 40 gram - " - 3,00,000/-
कमल - 20 gram - 1,00,000/-
2,00,000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों - नहीं - 22
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति नहीं - 22

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज में शैक्षणिक
के नाम के साथ अंकित करें- नारायण मंदिर संस्कृत उच्च विद्यालय
मुजफ्फरपुर (विद्यार्थी-नारायण)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 24/09/22

✓ Baby Kumari
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैश्य टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिजली कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्वस्थ निश्चित रूप से भरे जाएँ। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाए।

स्वस्थ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।



**प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र**

मैं, बैकी कुमारी पिता/पति नसरुल हसन
उम्र 42 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नसरुल हसन के वार्ड संख्या 43
मोहल्ला पक्की सराय, पोस्ट पुलाना थाना नसरुल हसन, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-
SI No. 106 Book No. 2

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नसरुल हसन के
वार्ड संख्या 43 के *पार्षद* उप मुख्य पार्षद*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर
पंचायत नसरुल हसन के वार्ड 43 के *पार्षद* उप मुख्य पार्षद*मुख्य
पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Masudul Hasan
नाम- S/o Late Mahfuzul Hasan
पता- Pakki Sarai, Ward-43, Muzaffarpur

Baby Kumari
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर संजय झा
नाम- पि० - आकाश झा, 95-43
पता- वार्ड 43 नसरुल हसन

24/9/22
Enr. 2184/जे

स्थान : मुजफ्फरपुर
दिनांक : 24/09/22



*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरो पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।